मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2011 (चैत्र 8, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अंबाह पोरसा हिंसक घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 29 मई, 2007 द्वारा न्यायमूर्ति श्री डी.के. पालीवाल, एकल सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद एवं इटारसी में नजूल के पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में पंचायत सचिवों के अधिकार समाप्त किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के पचोर-माचलपुर मार्ग की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री तुलसीराम सिलावट, देवेन्द्र पटेल, सदस्य, इंदौर शहर में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सत्ताईसवां से उनचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्रीमती शशि ठाकुर, सभापति प्रत्यायुक्त विधान समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम खजुरिया घाटा में नलजल योजना स्वीकृत किये जाने,
- (ख) पचौर तहसील में बायपास रोड निर्माण किये जाने,
- (ग) सारंगपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने,
- (घ) ग्राम सण्डावता में पुलिस चौकी खोले जाने,
- (ङ) ग्राम सण्डावता की कृषि उपज मंडी को उप मंडी घोषित किये जाने, तथा
- (च) मण्डाई चौक में पुरानी पुलिस चौकी को प्रारंभ किये जाने,

(2) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम भवानीपुरा के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,
- (ख) ग्राम डाबरिया लसूडिया से बाईहेडा तक सड़क बनाये जाने,
- (ग) ग्राम गंगाहोनी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
- (घ) ग्राम मोझा में पेयजल टंकी निर्माण किये जाने,
- (ङ) ग्राम लखनवास से ग्राम सुन्दरपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
- (च) ग्राम वमारी में नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(3) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम तांडीकला में नलजल योजना प्रारंभ किये जाने,
- (ख) ग्राम बांकपुरा में नलजल योजना प्रारंभ किये जाने,
- (ग) ग्राम प्रेमपुरा में नलजल योजना प्रारंभ किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम रामगढ़ में नलजल योजना प्रारंभ किये जाने,

(4) श्री चौधरी मेर सिंह, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -
- (क) ग्राम सिरस में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (ख) ग्राम चांद के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला का भवन निर्माण किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम बोझावाड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,

(5) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के -
- (क) ग्राम पवनी एवं सनीटेकरा के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
- (ख) लांजी स्थित प्राचीन किला एवं दादा कोटेश्वर मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने,

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम विमलवानी के शासकीय महाविद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम निमोदा मठ के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ग) श्री मेवरा के पास दर्रा नाले पर निर्मित पुल पर एप्रोच रोड रिटेनिंग वाल निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम गोहटा से गावड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(7) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर नगर के -

(क) वार्ड क्रमांक 2 में भूतेश्वर मंदिर से हनुमानघाटी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ख) शब्द प्रताप आश्रम के कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ग) शब्द आश्रम नंबर-2 की नई कालोनी से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण किये जाने,

(घ) शब्द आश्रम नंबर-2 में गुरुप्यारी भवन के पास तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ङ) वार्ड क्रमांक 17 में सैयद बाबा की दरगाह से चंदनपुरा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(च) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान की स्नातक, स्नातकोत्तर एवं वाणिज्यिक संकाय आरंभ किये जाने,

(छ) रायसेन रोड से रमटापुरा होते हुए लोहामण्डी तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा

(ज) वार्ड क्रमांक 14 लधेड़ी में नवीन नलकूप खनन किये जाने,

(8) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम वसुधा एवं उमरहट के पास नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(ख) खम्हरिया खुर्द, महकोना रोड, मटतैन, पोरहटी, बचवई, संगमा, सायडिंग, सगमनिया पोड़ी, मदनी, नयागांव, शिवसागर भैंसवार, कोठी, रैगांव में संचालित शासकीय महाविद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम सुरलाखापा में शासकीय भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम शेजवाड़ा में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(10) कुं. विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गिरधौरी के मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने, एवं

(11) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम बरेली में सुखचैन नदी पर स्टाप डेम कम रपटा निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य

श्री गौरीशंकर बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, दिनांक 8 मार्च, 2011 पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्रमांक 2955) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

1 घन्टा — (1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे — (3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (5) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (6) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा 30 मि. — (7) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (8) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 मार्च, 2011